IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– / वा0नि0–5 / दिनांक– 17 – 3 –2015

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता–मण्डोला वृत्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलैक्स मण्डोला विहार,
बागपत रोड, गाजियाबाद।

विषयः मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7ए, में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड पर परिषद प्रोजेक्ट के कियान्वयन सम्बंधी प्रस्ताव के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 1573 / ए0पी0डी0–12 / दिनांक 27–12–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7ए में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड पर परिषद प्रोजेक्ट के कियान्वयन सम्बंधी प्रस्ताव / कोर ग्रुप में हुए विचार विमर्श के कम में परिषद में पंजीकृत आर्किटैक्ट / कन्सलटेंट से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त महोदय द्वारा मानचित्र का अनुमोदन दिनांक 17–3–2015 को कतिपय निम्नांकित शर्तों सहित किया गया है।

बहुमंजिले निर्माण हेतु निम्न औपचारिकताएँ निर्माण से पूर्व किया जाना आवश्यक है। जिसे संबंधित खण्ड व कन्सलटेन्ट के माध्यम से पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

1. कय योग्य एफ.ए.आर. हेतु वॉछित धनराशि को परिषद खाते में जमा करना व धनराशि को भवनों के प्राकल्लन में समायोजित किया जाना होगा।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए एक सेट पर अग्निशमन की शर्ते अंकित कराते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. प्रोजेक्ट हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया गया है। मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन माह के अन्दर संबंधित खण्ड द्वारा जमा किया जायेगा।
4. प्रोजेक्ट हेतु भारतीय विमान पत्तनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया गया है, अतः यह प्रस्तावित है कि निर्माण कार्य भारतीय विमान पतनम विभाग–के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।

5. निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर वास्तुविद के साथ स्ट्रक्चरल डिजाईन तैया कराने वाले इंजीनियर का पूरा नाम तथा मोहर युक्त हस्ताक्षर व भूकम्प अवरोधी होने का प्रमाण पत्र उपविपधि के अध्याय–11 के सलंग्नक–4 में उल्लखित प्रारूप में अंकित कर –5 सेट इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

6. उपविधि के सलंग्नक बिल्डिंग इन्फारमेंशन शेड्यूल में उल्लिखित विवरण तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित होना आवश्यक हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित करते हुए मानचित्र स्वीकृति से पूर्व उपलब्ध कराया जाना होगा।

7. मानचित्र के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन के कैलकूलेशन के–5 प्रमाणित सेट प्रस्तुत करना होगा। जिसे आई0आई0टी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त रिजनल इंजीनियरिंग कालेज के विभागाध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए प्रेषित की जानी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार अनुमोदित मानचित्रों की दो–दो प्रतियॉ आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

/

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0:– 538 / / तद्दिनांक 17.3.12

प्रतिलिपिः निम्नांकित को अनुमोदित मानचित्र/नम्बरिंग प्लान की प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड–38, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलैक्स मण्डोला विहार, गाजियाबाद।
2. उप आवास आयुक्त–सम्पत्ति प्रबंध, वसुन्धरा काम्पलैक्स,सेक्टर–16ए वसुन्धरा गाजियाबाद।
3. मैसर्स आर्च एन डिजाईन 4/5 विशाल खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक